सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority

ज्येष्ठ 5, गुरूवार, शाके 1944-मई 26, 2022

Jyaistha 5, Thursday , Saka 1944- May 26, 2022

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

कार्मिक विभाग

क-ग्रुप-2

अधिसूचना

जयपुर, मई 23, 2022

जी.एस.आर.32 :-भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान विभिन्न सेवा नियमों को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान विभिन्न सेवा (चतुर्थ संशोधन) नियम, 2022 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. संशोधन.- इसके साथ संलग्न अनुसूची के स्तंभ सं.2 में यथोल्लिखित प्रत्येक सेवा नियम के सामने स्तंभ सं.3 में यथोल्लिखित विद्यमान नियम के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"आवेदनों की संवीक्षा और परीक्षाएं.- (1) आयोग के कार्यक्षेत्र में आने वाले पदों के लिए आयोग द्वारा प्राप्त आवेदन, जो अपूर्ण पाये जायें, उनके द्वारा अस्वीकार किये जायेंगे। परीक्षा में उपस्थित होने से पूर्व, अभ्यर्थी द्वारा स्वयं यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि वह इन नियमों में यथा उपबन्धित आयु, शैक्षिक अर्हताएं, अनुभव, यदि कोई हो, आदि के संबंध में शर्तें पूर्ण करता/करती है। परीक्षा देने के लिए अनुज्ञात किया जाना अभ्यर्थी को पात्रता की उपधारणा का हकदार नहीं बनायेगा। अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में उपस्थित होना होगा। बाद में आयोग केवल ऐसे अभ्यर्थियों के आवेदनों की संवीक्षा करेगा जो लिखित परीक्षा में अर्हित हों।

(2) लिखित परीक्षा की स्कीम और पाठ्य विवरण ऐसा होगा जो आयोग द्वारा समय-समय पर विनिश्चित किया जाये।

(3) आयोग के कार्यक्षेत्र में नहीं आने वाले पदों के लिए, बोर्ड या, यथास्थिति, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्राप्त आवेदन, जो अपूर्ण पाये जायें, उसके द्वारा अस्वीकार किये जायेंगे। परीक्षा में उपस्थित होने से पूर्व, अभ्यर्थी द्वारा स्वयं यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि वह इन नियमों में यथा उपबन्धित आयु, शैक्षिक अर्हताएं, अनुभव, यदि कोई हो, आदि के संबंध में शर्तें पूर्ण करता/करती है। परीक्षा देने के लिए अनुज्ञात किया जाना अभ्यर्थी को पात्रता की उपधारणा का हकदार नहीं बनायेगा।

अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में उपस्थित होना होगा। बाद में बोर्ड या, यथास्थिति, नियुक्ति प्राधिकारी केवल ऐसे अभ्यर्थियों के आवेदनों की ही संवीक्षा करेगा जो लिखित परीक्षा में अर्हित हों।

(4) किसी अभ्यर्थी की पात्रता या अन्यथा के संबंध में आयोग/ बोर्ड या, यथास्थिति, नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा।"

अनुसूची

क्र.सं.	सेवा नियमों के नाम	विद्यमान नियम का संख्यांक
1	2	3
1.	राजस्थान सचिवालय पुस्तकालयाध्यक्ष राज्य और अधीनस्थ सेवा नियम, 1997	21
2.	राजस्थान पैट्रोलियम राज्य और अधीनस्थ सेवा नियम, 2012	25
3.	राजस्थान मत्स्य राज्य और अधीनस्थ सेवा नियम, 2012	25
4.	राजस्थान भाषा एवं पुस्तकालय (राज्य और अधीनस्थ) सेवा नियम, 2013	25
5.	राजस्थान आबकारी प्रयोगशाला (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम, 2015	25
6.	राजस्थान विश्राम भवन (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम, 2019	26
7.	राजस्थान जैव-ईंधन (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम, 2019	26
8.	राजस्थान विज्ञान और प्रौद्योगिकी (राज्य और अधीनस्थ) सेवा नियम, 2021	27
9.	राजस्थान खान एवं भू-गर्भ अधीनस्थ सेवा नियम, 1960	19
10.	राजस्थान पुरालेख अधीनस्थ सेवा नियम, 1968	19
11.	राजस्थान भू-जल अधीनस्थ सेवा नियम, 1973	19
12.	राजस्थान नगर नियोजन अधीनस्थ सेवा नियम,1974	19
13.	राजस्थान तकनीकी प्रशिक्षण अधीनस्थ सेवा नियम, 1975	19
14.	राजस्थान पशुपालन अधीनस्थ सेवा नियम,1977	19
15.	राजस्थान कृषि अधीनस्थ सेवा नियम,1978	20
16.	राजस्थान मोटर गैराज अधीनस्थ सेवा नियम,1979	20
17.	राजस्थान शिक्षा अधीनस्थ सेवा (महाविद्यालय शाखा) नियम, 1979	20

[सं. एफ.1(2) डीओपी/ ए-II/97 पार्ट]

राज्यपाल के आदेश और नाम से,

रामनिवास मेहता,

संयुक्त शासन सचिव।

DEPARTMENT OF PERSONNEL

A-Gr.II

NOTIFICATION

Jaipur, May 23, 2022

G.S.R.32 .-In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Rajasthan hereby makes the following rules further to amend the Various Service Rules as mentioned in the Schedule appended hereto, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Rajasthan Various Service (Fourth Amendment) Rules, 2022.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Amendment.- The existing rule as mentioned in column number 3 against each of the service rules as mentioned in column number 2 of the Schedule appended hereto shall be substituted by the following, namely:-

"**Scrutiny of applications and examinations.-** (1) The applications received by the Commission, for the posts falling under the purview of the Commission, which are found to be incomplete shall be rejected by them. Before appearing in the examination, it should be ensured by the candidate himself/herself that he/she fulfils the conditions in regard to age, educational qualifications, experience, if any, etc. as provided in these rules. Being allowed to take the examination shall not entitle the candidate to presumption of eligibility. The candidates shall have to appear in the written examination. The Commission shall scrutinise later on the applications of such candidates only as qualify in the written examination.

(2) The Scheme and Syllabus of written examination shall be such as may be decided by the Commission, from time to time.

(3) The applications received by the Board or the Appointing Authority, as the case may be, for the posts not falling under the purview of the Commission, which are found to be incomplete shall be rejected by it. Before appearing in the examination, it should be ensured by the candidate himself/herself that he/she fulfils the conditions in regard to age, educational qualifications, experience, if any, etc. as provided in these rules. Being allowed to take the examination shall not entitle the candidate to presumption of eligibility. The candidates shall have to appear in the written examination. The Board or the Appointing Authority, as the case may be shall scrutinise later on the applications of such candidates only as qualify in the written examination.

(4) The decision of the Commission/Board or the Appointing Authority, as the case may be, regarding the eligibility or otherwise of a candidate shall be final."

SCHEDULE

S.No.	Name of Service Rules	Number of existing rule
1	2	3
1.	The Rajasthan Secretariat Librarian State and Subordinate Service Rules, 1997	21
2.	The Rajasthan Petroleum State and Subordinate Service Rules, 2012	25
3.	The Rajasthan Fisheries State and Subordinate Service Rules, 2012	25
4.	The Rajasthan Language and Library (State and Subordinate) Service Rules, 2013	25
5.	The Rajasthan Excise Laboratory (State and Subordinate) Service Rules, 2015	25
6.	The Rajasthan Circuit Houses (State and Subordinate) Service	26

	Rules, 2019	
7.	The Rajasthan Bio-fuel (State and Subordinate) Service Rules, 2019	26
8.	The Rajasthan Science and Technology (State and Subordinate) Service Rules, 2021	27
9.	The Rajasthan Mines and Geological Subordinate Service Rules, 1960	19
10.	The Rajasthan Archives Subordinate Service Rules, 1968	19
11.	The Rajasthan Ground Water Subordinate Service Rules, 1973	19
12.	The Rajasthan Town Planning Subordinate Service Rules, 1974	19
13.	The Rajasthan Technical Training Subordinate Service Rules, 1975	19
14.	The Rajasthan Animal Husbandry Subordinate Service Rules, 1977	19
15.	The Rajasthan Agriculture Subordinate Service Rules, 1978	20
16.	The Rajasthan Motor Garage Subordinate Service Rules, 1979	20
17.	The Rajasthan Education Subordinate Service (Collegiate Branch) Rules, 1979	20

[No. F. 1(2)DOP/A-II/97 Pt.]
By order and in the name of the Governor,
RAM NIWAS MEHTA,
JOINT SECRETARY TO THE GOVERNMENT.

Government Central Press, Jaipur.